यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून** के माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-01-2019 से 25-01-2019 एवं 20-02-2019 से 23-02-2019. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रमोद कुमार चौधरी वरिष्ठ लेखा परीक्षक के द्वारा श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 23/11/2017 से 08/12/2017 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग**,** देहरादून का मुख्य कार्यकलाप गढ़वाल सम्भाग में खाद्यान/ चीनी संबन्धित योजनाओं के अन्तर्गत परिवारों को वितरण किए जाने संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। समस्त गढ़वाल सम्भाग के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) रू॰**	**बचत (-) रू॰**
	स्थापना रू॰	**गैर स्थापना**	**आवंटन रू॰**	**व्यय रू॰**	**आवंटन रू॰**	**व्यय रू॰**		
2015-16	शून्य	शून्य	344.17	341.16	62529.00	60382.06	-	2149.94
2016-17	शून्य	शून्य	425.90	402.94	149522.08	143824.33	-	5721.00
2017-18	शून्य	शून्य	446.41	440.68	23230.00	17245.09	-	5990.64
2018-19 (Upto Dec. 2018)	शून्य	शून्य	418.17	325.73	14345.64	13050.00	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Dec. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकार/आयुक्त कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्तर से प्राप्त किए जाते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. आयुक्त 2. अपर आयुक्त 3. संयुक्त आयुक्त 4. उपायुक्त 5. वित्त नियन्त्रक 6. मुख्य विपणन अधिकारी 7. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक 8. वरिष्ठ वित्त अधिकारी 9. सम्भागीय विपणन अधिकारी 10. उप सम्भागीय विपणन अधिकारी 11. सहायक लेखा अधिकारी 12. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर 01 : विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप गबन की धनराशि रूपये 95.82 लाख की वसूली लम्बित रहने से राजस्व क्षति होना।

कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड देहारादून के द्वारा दिनांक 13.08.2018 को लेखा परीक्षा ज्ञापन संख्या 11 जारी किया गया था, जिसमें विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप गबन की धनराशि रूपये 1.09 करोड़ की वसूली लम्बित रहने से राजस्व क्षति होना इंगित किया गया था। जिसके अनुसार General finance Rule of sub rule 1of 33, clearly envisaged that any loss or shortage of public money, department receipts or other property held by or on behalf of Government irrespective of causes of loss any manner of detection, shall be immediately reported by the subordinate authority concerted to the next higher authority even when such loss has been made by the party responsible for it. Sub rule 3 of 33 also stipulated that on initial report of loss should be made as soon as suspicious arises that a loss has taken place and final report of such loss should be sent to authorities as described in sub rule, after investigation indicating nature and extent of loss, errors, neglect of rules by what the loss has been caused and prospect of recovery and rule 37 of GFR, further, descried that as officer shall be held personally responsible for any loss sustained by the government through fraud or negligence on his part, he will also be responsible for every loss arising from fraud or negligence of any other officer to extent to which it may be shown that he contributed to the loss by his own action or negligence, the department proceeding for assessment of responsibility for loss shall be conducted accordingly.

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून के हानि से संबन्धित अभिलेखों में वर्ष 2009-10 से 2012-13 एवं 2018-19 के दौरान भिन्न-भिन्न जनपदों में राजकीय खाद्यान भण्डार प्रभारी व सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान की मात्रा का लेखा जोखा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित नहीं किया गया जिसका विवरण निमन्वत था-

(मात्रा कुन्तल में)

वर्ष	**गेहूँ**			**चावल**			**चीनी**
	APL	**BPL**	**AAY**	**APL**	**BPL**	**AAY**	
2009-10	207.47	0	11.61	0	793.50	97.68	0
2010-11	997.06	19.85	68.17	118.10	509.01	0	187.00
2011-12	0	0	0	9.00	0	0	25.50
2012-13	0	0	63.00	0	0	0	0
2018-19	0	0	42.45	0	0	109.92	0
योग	**1204.53**	**19.85**	**185.23**	**127.10**	**1302.51**	**207.60**	**212.50**

इस प्रकार उक्त योजनाओं में आबंटित खाद्यान (गेहूँ एवं चावल) 3046.82 कुंतल तथा चीनी 212.50 कुंतल जिनका कुल मूल्य ₹ 95.82 लाख था को लाभार्थियों को प्रदान नहीं किया गया तथा संबन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा धनराशि रूपये 95.82 लाख को राजस्व खाते में भी जमा नहीं किया गया। विभाग द्वारा न तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी और न ही धनराशि वसूल किये जाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की गयी साथ ही विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गयी इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों में गबन की श्रेणी में हानि स्वीकार करने के बाद भी 05 से 08 वर्ष बाद show cause नोटिस जारी किया गया, जो कि विभागीय उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि टिहरी केन्द्र चौकी द्वारा रू॰ 148987/-, जामनीखाल द्वारा रू॰ 31342/- तथा चमोली केन्द्र सौंजी द्वारा रू॰ 5169/- इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 185498/- वसूल कर जमा किए जा चुके हैं। जनपद रूद्रप्रयाग के केन्द्र ऊखीमठ के रू॰ 864489/- आपदा की हानि तथा जनपद पौड़ी के केन्द्र उफरैखाल रू॰ 2403065/- कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गयी। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान तक कोई विभागीय जांच नहीं की गयी है और न ही कोई जांच कमेटी का गठन किया गया है कार्यवाही हेतु संबन्धित जिला पूर्ति अधिकारियों को लिखा गया है। वर्तमान में कोई धनराशि अपलिखित नहीं की गयी है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा 05 से 08 वर्ष बीत जाने के पश्चात show cause नोटिस जारी किया गया और विभाग द्वारा वर्तमान तक न तो कोई जांच की गयी और न ही कोई जांच कमेटी गठित की गयी। show cause नोटिस जारी करने के लगभग एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात संबन्धित केन्द्रो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाना विभागीय उदासीनता को प्रदर्शित करता है। संबन्धित केन्द्रों से अभी तक केवल रूपये 1,85,498/- की वसूली की जा सकी एवं चमोली जनपद के जोशीमठ में त्रुटिवश अंकन के कारण रूपये 2,72,250/- तथा जनपद रूद्रप्रयाग के केन्द्र ऊखीमठ के रू॰ 8,64,489/- आपदा की हानि होना दर्शाया गया जबकि जनपद पौड़ी के केन्द्र उफरैखाल रू॰ 2403065/- कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान होने के संबंध में उक्त प्रकरण वर्ष 2010-11 के समय संज्ञान में आया था, उस समय ही संबन्धित जिला पूर्ति अधिकारी को संबन्धित कार्मिक से वसूली किया जाना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा नहीं की गयी उसके बाद भी कार्मिक की मृत्यु के पश्चात कार्मिक के देयकों से वसूल किया जाना चाहिए था, जिसको भी प्रारम्भ नहीं किया गया। इस प्रकार वसूली योग्य कुल धनराशि रूपये 1,09,04,726/- में से रूपये 13,22,237/- का वसूली करके समायोजन कर दिया गया शेष धनराशि रूपये 95,82,489/- शेष थी (10904726-1322237= 9582489)। उक्त प्रकरण के सम्बंध में पूर्व में भी लेखा परीक्षा दल द्वारा अगस्त 2018 में उक्त आपत्ति दर्ज की गयी थी लेकिन विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध में संबन्धित केन्द्रों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही कोई जांच कमेटी गठित की गयी।

इस प्रकार उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के परिणाम स्वरूप गबन कि धनराशि रूपये 95.82 लाख की वसूली लम्बित रहने से विभाग को राजस्व क्षति होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -दो(ब)

प्रस्तर 01 : खाद्य नियंत्रक द्वारा आंतरिक गोदामों को खाद्यान का अनियमित वितरण किया जाना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्ड धारक को 13.30 kg गेहूं तथा 21.70 kg चावल का वितरण किया जाना था तथा प्राथमिक परिवार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 2.0 kg गेहूं तथा 3.0 kg चावल वितरित किया जाना था। आंतरिक गोदामों को खाद्यान उपलब्ध करने हेतु उन गोदामों के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या तथा प्राथमिक परिवार के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या के अनुयार खाद्यान वितरित किया जाना था अतः खाद्य नियंत्रक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारियों के द्वारा की गयी खाद्यान की मांग को जनपद में चल रहे अंत्योदय कार्डों तथा प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों की संख्या के आधार पर खाद्यान का आबंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून की लेखा परीक्षा के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा जनपदों में स्थित विभिन्न आंतरिक गोदामों जो सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा नियंत्रित हैं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान, कार्ड धारकों की संख्या तथा कुल लाभार्थियों के अनुसार आबंटित नहीं किया जा रहा था जिसका विवरण निम्न है- (कार्ड संख्या x 0.133 कु.x 12=गेहूं), (कार्ड संख्या x 0.217 कु. x 12=चावल)

1- अंत्योदय अन्न योजना

क्रम संख्या	आंतरिक गोदाम का नाम	अंतयोदय कार्डों की संख्या	मानकों के अनुसार गेहूं/ चावल का आबंटन	वास्तविक वितरण (गेहूं/ चावल)	अन्तर (+,-)
1	विकास नगर	2333	3723.46/ 6075.13	3384.13/ 5511.26	-339.33/ -563.87
2	डोईवाला	1626	2595.10/ 4234.10	2607.76/ 4241.08	+12.66/ +6.98
3	मंगलोर	7733	12341.87/ 20136.00	12403.64/20142.28	+61.77/ +6.28
4	बादरबाद	7953	12692.99/ 20709.61	12643.73/20627.90	-49.26/ -81.71
5	कोटद्वार	690	1101.24/ 1796.76	724.59/ 757.13	-376.65/ -1039.63
6	रुड़की	5745	9169.02/14959.98	9279.57/ 5088.21	+110.55/ +128.23
7	ज्वालापुर	1850	2952.60/ 4817.40	3042.76/ 4983.92	+90.16/ +166.52

8	भगवानपुर	8388	13387.25/ 21842.35	13113.74/ 1418.71	-273.51/ -423.64
योग					**-1038.75, +275.14/ -2108.85,+308.01**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य नियंत्रक द्वारा आंतरिक गोदामों को खाद्यान निर्गत करते हुये कार्ड धारकों की सख्या एवं कार्ड के अनुसार लाभार्थियों की संख्या को संज्ञान में नहीं लिया गया जिस कारण वर्ष 2017-18 में चार आंतरिक गोदामों के द्वारा 1038.75 कुंतल गेहूं कम एवं चार गोदामों को 275.14 कुंतल गेहूं अधिक वितरित किया गया पुनः वर्ष 2017-18 में चार आंतरिक गोदामों के द्वारा 2108.85 कुंतल चावल कम एवं चार गोदामों को 308.01 कुंतल चावल अधिक वितरित किया गया, जो कि योजना के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

2- प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत खाद्यान का आबंटन एवं वितरण निम्न प्रकार था- (चावल= लाभार्थियों की संख्या x 0.03 कु. X12, गेहूं= लाभार्थियों की संख्या x 0.02 कु. X12)

क्रम संख्या	**आंतरिक गोदाम का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**	**मानकों के अनुसार गेहूं/ चावल का आबंटन**	**वास्तविक वितरण (गेहूं/ चावल)**	**अन्तर (+,-)**
1	विकास नगर	123580	29659.20/ 44488.80	14433.56/ 45858.72	-15225.64/ -1369.92
2	डोईवाला	66147	15875.28/ 23812.92	14433.56/ 23310.00	-1441.72/ -502.92
3	मंगलोर	178466	42851.84/ 64247.76	40346.56/ 65309.12	-2505.28/ +1061.36
4	बादरबाद	197297	47351.28/ 71026.92	45201.61/ 73692.89	-2149.67/ +2665.97
5	रुड़की	208500	50040.00/ 75060.00	49460.21/ 78966.37	-579.79/ +3906.37
6	ज्वालापुर	119000	28560.00/ 42840.00	29975.42/ 46130.53	+1415.42/ +3290.53
7	भगवानपुर	123100	29544.00/ 44316.00	29044.91/ 46739.06	-499.09/ +2423.06
योग					**-22401.19,+1415.42/ -1872.84,13347.29**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य नियंत्रक द्वारा आंतरिक गोदामों को खाद्यान निर्गत करते हुये प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को संज्ञान में नहीं लिया गया जिस कारण वर्ष 2017-18 में छः आंतरिक गोदामों के द्वारा 22401.19 कुंतल गेहूं कम एवं एक गोदाम द्वारा 1415.42 कुंतल गेहूं अधिक वितरित किया गया पुनः वर्ष 2017-18 में दो आंतरिक गोदामों के द्वारा 1872.82 कुंतल चावल कम एवं पाँच गोदामों द्वारा 13347.29 कुंतल चावल अधिक वितरित किया गया, जो कि योजना के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अवगत कराया कि शासन द्वारा जारी आबंटन आदेश के क्रम में ऑन लाइन खाद्य आबंटन जारी किया जाता है तथा जनपदों को शासन द्वारा जारी आबंटन से अधिक खाद्यान निर्गत नहीं किया जाता तथा खाद्यान का वितरण जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा अपने मांग पत्रों के अनुसार निर्गत खाद्यान आबंटन के क्रम में किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाद्यान का आबंटन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्ड धारकों कि संख्या एवं उनमें निहित लाभार्थियों कि संख्या के अनुसार होना चाहिए था जबकि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारियों कि मांग की जांच जनपद में कार्ड धारकों की संख्या एवं लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की जानी थी तथा उसी आधार पर खाद्यान का आबंटन किया जाना चाहिए था जो की वर्तमान में नहीं किया जा रहा था जनपद को खाद्यान का आबंटन पूर्ति अधिकारी की मांग की जांच के बिना किया जा रहा था। जिस कारण उपरोक्त अनियमितताए प्रकाश में आयीं।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 02 : विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में धनराशि रूपये 240.52 लाख से बनाये गये 2000 मी॰ टन क्षमता के खाद्य गोदाम का पूरा उपयोग न हो पाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या : 198/16-XIX-2/35 खाद्य/ 2015 दिनांक 03.06.2016 के द्वारा जनपद देहरादून के स्थान ट्रांसपोर्ट नगर में 2000 मी॰ टन क्षमता के खाद्यान गोदाम एवं आवासीय परिसर के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि॰ द्वारा तैयार आगणन रूपये 233.73+8.50 लाख कुल धनराशि रूपये 242.23 लाख के सापेक्ष टी॰ ए॰ सी॰ के स्तर से परीक्षणोपरांत धनराशि रूपये 232.02+8.50 लाख कुल धनराशि रूपये 240.52 की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 20.60 लाख को व्यय करने की स्वीकृति शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जून 2016 में दी गयी।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु धनराशि रूपये 240.52 लाख के सापेक्ष रूपये 173.60 लाख अवमुक्त किए गए है तथा शेष धनराशि रूपये 66.92 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष था। वरिष्ठ विपणन अधिकारी एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून द्वारा निर्माणाधीन गोदाम की भंडारण क्षमता कम होने के संबंध में नवम्बर 2017 में जाँच के समय यह पाया गया गोदाम कि टीन शेड का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भंडारण क्षमता के सम्बंध में यह अवगत कराया गया कि खाद्यान्न चट्टे (Stack) चारों ओर से दो-दो फिट गैलरी छोड़ कर लगाए जाते हैं जिसके कारण उक्त गोदाम में 1512 मी॰ टन खाद्यान ही संग्रहीत किया जा सकता है जबकि निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा 2000 मी॰ टन क्षमता के खाद्यान गोदाम का निर्माण किया जाना था जबकि निर्माण एजेंसी द्वारा 2000 मी॰ टन खाद्यान संग्रहीत करने हेतु कारपेट एरिया का बना दिया गया दो-दो फिट गैलरी छोड़ने के प्रावधान को संज्ञान में नहीं लिया गया। जो कि नियम विरुद्ध था

उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में खाद्यान गोदाम के निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण न किए जाने से निर्माण एजेंसी द्वारा 2000 मी॰ टन खाद्यान संग्रहीत करने हेतु कारपेट एरिया का बना दिया, जबकि उक्त गोदाम में केवल 1512 मी॰ टन खाद्यान ही संग्रहीत किया जा सकता था। साथ ही निर्माण कार्य एजेंसी को 2000 मी॰ टन क्षमता के खाद्यान गोदाम निर्माण के लिए भुगतान रूपये 173.60 लाख किया गया एवं शेष धनराशि रूपये 66.92 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया गया कि उक्त गोदाम मार्च 2018 में पूर्ण कर 13.08.2018 को हस्तगत कर दिया गया । सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के द्वारा केवल नवम्बर 2017 में निर्माण कार्य का निरक्षण किया गया।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण एजेंसी द्वारा 2000 मी॰ टन खाद्य संग्रहीत करने के गोदाम का निर्माण करना था जबकि 2000 मी॰ टन कारपेट एरिया का बनाया गया, जिसमें केवल 1512 मी॰ टन खाद्यान ही संग्रहीत किया जा सकता था। जो कि विभाग उदासीनता के कारण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा समय समय पर निरीक्षण न किए जाने से कम क्षमता का गोदाम का निर्माण कर दिया गया।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में धनराशि रूपये 240.52 से बनाये गये 2000 मी॰ टन क्षमता के खाद्य गोदाम का पूरा उपयोग न हो पाने का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 03:- रोकड़ बही के रख रखाव किए बिना रू 39,501.00 लाख के भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश 3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02-01-2013 के बिन्दु संख्या 4.9 मे ई-पेमेंट प्रणाली मे दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट के माध्यम से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के बाद विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगें तथा भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों यथा 11-c पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथास्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त फार्म BM-05 मे DDO द्वारा संबन्धित माह मे किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु कि "Certified that all the drawls shown in the statement are correct except the following ones (if any) which have not been made by me" and Besides the above the following are also the drawls (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.

कार्यालय की लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच मे पाया गया की कार्यालय मे रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया जा रहा है। माह नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2018 के मध्य कार्यालय द्वारा रू 39501.00 लाख धनराशि व्यय की गयी। जिसका अंकन रोकड़ बही मे नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 से ऑनलाइन भुगतान सिस्टम के कारण रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन कर स्वयमेव ही रोकड़ बही का अंकन बन्द कर दिया गया। जबकि भुगतान सम्बन्धी सभी अभिलेखों का रख रखाव यथावत किया जाना था।

अतः रोकड़ बही के रख रखाव किए बिना रू 39501.00 लाख के भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 04: रू. 2.95 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका मे निहित प्राविधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष मे निर्गत अग्रिम की राशि कार्य पूर्ण होने पर या कार्यो के लिए निर्गत अग्रिम माह के अन्त तक अवश्य अग्रिम की वसूली/ समायोजित कर दिया जाना चाहिए। अग्रिमों का समायोजन न दिये जाने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भी लगाए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान है।

कार्यालय संभागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून के लेखों की नमूना लेखा परीक्षा के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2018-19 में क्रय केन्द्र भगवानपुर एवं बहादरबाद में गेहूं की खरीद हेतु क्रमश धनराशि रूपये 1.50 करोड़ तथा रूपये 1.95 करोड़ अग्रिम के रूप में जारी किए गए थे जिसमें से बहदराबाद के द्वारा धनराशि रूपये 17,60,222/- चालान के द्वारा वापस कर दिये गए इस प्रकार उक्त क्रय केन्द्रों पर शेष धनराशि रूपये 3,27,39,778/- का समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 तुलन पत्र (Balance sheet) नहीं बनाए जाने के कारण उक्त वर्ष के असमायोजीय अग्रिम का आकलन नहीं किया जा सका।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की अधिकता के कारण समायोजन में विलम्ब हुआ। उक्त चालू खाता (current A/c) होने के कारण कोई ब्याज की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी। उक्त धनराशि में से रूपये 32,14,145/- का चालान 12/02/2019 को जमा कराया गया है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा गेहूं खरीद केन्द्रों का संचालन जून 2018 तक ही किया जाना था उसके पश्चात केन्द्र प्रभारी के द्वारा बिना किसी वैध कारण के उक्त धनराशियों को रोके रखा गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा फरवरी 2019 में रूपये 32,14,145/- धनराशि केन्द्र प्रभारी द्वारा जमा करवायी गयी तथा शेष धनराशि रूपये 2.95 करोड़ अभी भी असमायोजित पड़ी है, जिसके लिए संबन्धित केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार धनराशि रूपये 2.95 करोड़ (3,27,39,778 – 32,14,145 = 2,95,25,633) के अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01: बोरों के उचित एवं नियमानुसार निस्तारण किए बिना चावल मिलर्स को रू 4.53 लाख का भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 677/16-xix-2/21 खाद्य/2016 दिनांकित 30.09.2016 द्वारा खरीफ खरीद नीति 2016-17 निर्धारित कि गयी। जिसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान क्रय करने के सम्बंध मे दिशा-निर्देश जारी किए गए। उक्त खरीद नीति को वर्ष 2017-18 मे भी जारी रखा गया।

उक्त आदेश के बिन्दु सं.12 के अनुसार चावल मिलर के पास अवशेष बचे बोरे मिलर द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को वापस किए जायेंगे जिसके पश्चात ही मिलर को धान की कुटाई के मूल्य तथा अन्य मदों का भुगतान किया जायेगा। बिन्दु सं. 8(5) के अनुसार यदि चावल मिलर बोरे वापस नहीं करता है तो अवशेष बचे बोरे चावल मिलर के पक्ष मे अवमुक्त कर दिये जायेंगे। एवं चावल मिलर से Gunny Depriciation के आधार पर बोरों के मूल्य की वसूली की जायेगी।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक देहरादून के धान क्रय सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे तीन कच्चा आढ़तियों द्वारा कुल 20913.80 कुंतल धान क्रय किया गया। जिसके लिए कार्यालय द्वारा 52284 बोरे कच्चा आढ़तियों को उपलब्ध कराये गए। आगे जाँच मे पाया गया कि मिलर्स द्वारा वापस किए गए अथवा अवशेष बोरों के सम्बंध मे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। उक्त खरीद के सापेक्ष मिलर्स को रू 4,52,826.00 का भुगतान धान की कुटाई/मजदूरी एवं हैंडलिंग चार्जेज मद मे कर दिया गाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्यालय द्वारा 52289 बोरे कच्चा आढ़तियों को उपलब्ध कराये गए। उक्त बोरों के सापेक्ष मिलर्स द्वारा 28025 बोरे चावल सम्प्रदान हेतु प्रयुक्त किए गए। शेष 24264 बोरे मिलर्स पर अवशेष थे। इकाई ने एक प्रश्न के उत्तर मे कहा कि उक्त 24264 बोरे मिलर्स से वापस प्राप्त कर लिए गए है। एवं एक अन्य प्रश्न के उत्तर मे कहा कि बोरे मिलर्स के पक्ष मे अवमुक्त कर दिये गए। बोरों के नियमानुसार निस्तारण किए बिना ही मिलर्स के देयकों के भुगतान के सम्बंध मे इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा न तो स्पष्ट उत्तर दिया गया है और न ही बोरे प्राप्त होने के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गये। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन कर मिलर्स को भुगतान के सम्बंध मे भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अतः बोरों के उचित एवं नियमानुसार निस्तारण किए बिना चावल मिलर्स को रू 4,52,826.00 के भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
160/2017-18	1,2,3	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
10/2007-03/2007	भाग-II (अ)-1 भाग-II ब-1,2,3,4,5	अप्रस्तुत	यथावत	
62/2011-12	भाग-II (अ)-1,2 भाग-II (ब)-1,2,3	अप्रस्तुत	यथावत	
62/2011-12	भाग-II (अ)-शून्य भाग-II (ब)-1 STAN-1	अप्रस्तुत	यथावत	
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी एवं अवगत कराया गया कि उच्च अधिकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-** शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री बी॰ बी॰ ध्यानी	सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी	23.11.15 से 31.3.18
2	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान	सहायक लेखा अधिकारी	01.4.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.